


M. B. B. S.
10/11

29/5/15 प्राची व उसके वकील उपस्थित / विपक्षी उपस्थित /
अनुपस्थित / ... अदालत में रफर
करने हेतु दावे ... अतः प्रकरण
लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। पक्षकारान
दिनांक 6/7/15 को लोक अदालत के समक्ष
उपस्थित रहे।


उपखण्ड अधिकारी
नसूदा (अजमेर)

6/7/15 वकील वादी उपस्थित। वादी वकील ने निवेदन किया
की मे वाद को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ अत वादी की
ओर से विदाग्रह पेशनी नहीं है वाद को (नोट प्रेस) करता हूँ
वकील वादी ने निवेदन कर कहा कि नहीं चलाने से वाद
को नोट प्रेस करने से खारिज किया जाता है पत्रावली केवल
शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

